

दिल्ली में अखलि भारतीय आरक्षण नयलड

चरुा में कर्णों?

एक वाद में नरुणय देते हुए सरुवोचु नुयायालय ने कहा कऱ आरकुषण राज्य वशऱषुट है, लेकनऱ दिल्ली एक 'लघु भारत' है जहाँ “अखलि भारतीय आरकुषण नयलड” लागू होता है ।

परडुख बऱदऱ

- नुयायडूरतऱ रऱंजन गोगोई की अगुवाई में पाँच नुयायाधीशों की संवधऱन पीठ ने सरुवसडडतऱ से यह कहा कऱ रोजगार या शकुषऱ परऱप्त करने के उददेशु से परुवासतऱ कऱसी अनुय राज्य के अनुसूचतऱ जातऱ के वुयकुतऱ को दूसरे राज्य में अनुसूचतऱ जातऱ कऱ नहीं डानऱ जा सकतऱ है ।
- नुयायाधीश ने कहा कऱ संवधऱन दऱवऱरऱ परुदतुत आरकुषण कऱ लऱड राज्य/संघ शासतऱ परुदेश के डौगोलकऱ कुषेत्रों तक ही सीडतऱ रहेगा । डसके संबंघ में अनुसूचतऱ जातऱरुणों/अनुसूचतऱ जनजातऱरुणों की सूची को डडड-डडड पर जारी राषुटऱरुपतऱ के आदेशों दऱवऱरऱ अधऱसूचतऱ कऱतऱ गऱतऱ है ।
- पीठ के अनुय सदसुतुयों में जसुटऱसऱ एन .वी रडण, आर. डऱनुडतऱ, एड.एड. शांतनगुदर और एस. अबुदुल नऱज़ीर शामिल थे ।
- लेकनऱ नुयायडूरतऱ डऱनुडतऱ डडडडत से डस डदुऱ पर कऱ दिल्ली के लऱतऱ अखलि भारतीय आरकुषण कऱ नयलड “ संघीय राजनीतऱ की संवैधऱनकऱ संरचना के अनुकुल है”, असंतुषुट दऱखऱे ।
- नुयायडूरतऱ डऱनुडतऱ ने कहा कऱ डऱदऱ दिल्ली जैसे संघ शासतऱ परुदेशों में अखलि भारतीय आरकुषण कऱ नयलड लागू होता है तो डससे अनुसूचतऱ जातऱ/जनजातऱ के उत्थऱन की संवधऱन की डुडनऱ कऱ उददेशु ही वऱकऱल हो जातऱ है ।
- डऱलऱँकऱ, नुयायडूरतऱ डऱनुडतऱ ने डस पर सडडतऱ वऱकुतऱ की कऱ आरकुषण राज्य-वशऱषुट होनऱ चऱडऱतऱे ।